# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3196/2023**

बृजलाल मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग (पंचायत राज), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव सह आयुक्त, पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 28.11.2023
**आदेश की दिनांक** : 04.01.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के नाम का बंद लिफाफा को खोला जावे और रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति की जावे और समस्त लाभ प्रदान किए जावें तथा रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्ष 1998 में तदर्थ आधार पर पंचायती राज विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग से कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त हुआ और वर्ष 2008 में अपीलार्थी को नियमित किया गया तथा रिक्ति वर्ष 2012–13 में सहायक अभियंता के पद के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग से अपीलार्थी के नाम पर विचार किया गया और अधिशाषी अभियंता के पद के लिए अपीलार्थी की पदोन्नति देय थी, परंतु अपीलार्थी का परिणाम

अनावश्यक रूप से लिफाफे में बंद कर रखा है। जबकि पदोन्नति आदेश दिनांक 05.10.2021 को जारी किया गया है। विभाग द्वारा डीपीसी आयोजन के समय अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच लंबित नहीं थी, फिर भी अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के अनुसरण में एक परिनिंदा दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने कार्मिक विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की, परंतु उसे आज दिनांक तक निर्णित नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी भी अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति योग्य है। उनका कथन है कि विभाग अधीक्षण अभियंता के पद के लिए भी डीपीसी आयोजित करने जा रहा है, परंतु अपीलार्थी का पूर्व का परिणाम बंद लिफाफे में रखा हुआ है, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 232/2013 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम डॉ. अशोक सिंघवी एवं राजस्थान राज्य बनाम मनोज कुमार माचरा वाले मामले में इस प्रकार के मामलों में कार्मिकों की पदोन्नति पर विचार किया जाना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परंतु प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के अधीक्षण अभियंता के पद का पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा हुआ है, जो नियम एवं विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के नाम का बंद लिफाफा को खोला जावे और रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति की जावे और समस्त लाभ प्रदान किए जावें तथा रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 05.10.2021 को वित्तीय वर्ष 2020–21 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की अभिशंषाओं को निर्णय होने तक लिफाफा बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था और अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 23.09.2013 एवं 17.07.2019 के क्रम में विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2022 के द्वारा आरोप पत्र निरस्त कर दिया गया और आदेश दिनांक 07.09.2020 द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में दिशा–निर्देश हेतु

जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 16.3 एवं परिपत्र दिनांक 14.05.2013 अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही में राज्य सरकार के किसी राज सेवक की पदोन्नति पर यह होगा कि उक्त राज सेवक पदोन्नति के लिए दण्ड के पश्चात् 7 वर्षों में जब भी पात्र होगा तो उसे एक बार पदोन्नति से वंचित किया जाएगा। पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्तियों एवं आदेश जारी करते समय अपीलार्थी की कोई भी अपील विचाराधीन नहीं थी। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्ष 1998 में तदर्थ आधार पर पंचायती राज विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग से कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त हुआ और वर्ष 2008 में अपीलार्थी को नियमित किया गया। अधिशाषी अभियंता के पद के लिए अपीलार्थी की पदोन्नति देय थी, परंतु अपीलार्थी का परिणाम अनावश्यक रूप से लिफाफे में बंद कर रखा गया। अपीलार्थी को सीसीए नियम 1958 के नियम 17 के अनुसरण में एक परिनिंदा दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने कार्मिक विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की, परंतु उसे आज दिनांक तक निर्णित नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी भी अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति योग्य है। उनका कथन है कि विभाग अधीक्षण अभियंता के पद के लिए भी डीपीसी आयोजित करने जा रहा है, परंतु अपीलार्थी का पूर्व का परिणाम ही बंद लिफाफे में रखा हुआ है। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित डीपीसी का अपीलार्थी के संबंध में बंद लिफाफे में रखे हुए पदोन्नति परिणाम को नहीं खोलने तथा आगामी पदोन्नति अधीक्षण अभियंता के पद पर अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को ज्ञापन दिनांक 17.07.2019 के संबंध में आदेश दिनांक 07.09.2020 द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया और दण्डित उपरांत राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.05.2013 में निम्नलिखित पदोन्नति के संबंध में उल्लेख किया गया है :–

*"कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.7.2006 की निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम,*

*1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही में राज्य सरकार के किसी राजसवेक पर यदि परिनिन्दा का दण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उक्त दण्ड का प्रभाव राजसेवक की पदोन्नति पर यह होगा कि उक्त राजसेवक पदोन्नति के लिये दण्ड के पश्चात् 7 वर्षो में जब भी पात्र होगा तो उसे एक बार पदोन्नति से वंचित किया जायेगा। यदि राजसेवक को एक बार से अधिक परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है तो प्रत्येक परिनिन्दा के दण्ड के लिये पृथक पृथक बार पदोन्नति रूकेगी।''*

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को एक परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किए जाने के कारण अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु वंचित किया गया है, जो हमारे मत में राज्य सरकार के नियमों एवं परिपत्रों के अनुरूप है। अपीलार्थी ने अपने मामले के संबंध में जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा राजस्थान राज्य व अन्य बनाम डॉ. अशोक कुमार सिंघवी में पारित आदेश दिनांक 06.08.2013 का जो उल्लेख किया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों के समान न होने के कारण उक्त मामले के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**